दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

वसी. मा. स. 3/2006 और अ.आ.स.3840/2008

सुरक्षित तिथि: 26 मई, 2008
निर्णय तिथि:16 जुलाई, 2008

करन सिंह .....याचिकाकर्ता

के माध्यम से: श्री प्रदीप के. बख्शी, श्री रजत नवेत, अधिवक्तागण।

बनाम

राज्य और अन्य .....प्रत्यर्थीगण

के माध्यम से: श्री जे. एस. लांबा, प्रत्यर्थी संख्या 4 के लिए अधिवक्ता, श्री अखिल सिब्बल प्रत्यर्थीगण के लिए अधिवक्ता 3 और 5. श्री अनिल सप्रा के साथ श्री राजेश पाठक अधिवक्तागण अ.आ. 14267/2007 में आवेदक के लिए ।

कोरम : श्री न्यायामूर्ति एस. रविंद्र भट

1. क्या स्थानीय समाचार पत्रों के संवाददाताओं को निर्णय देखने की अनुमति दी जा सकती है? हां।

2. संवाददाता को उल्लिखित किया जाए है या नहीं? हां।

3. क्या निर्णय की सूचना डाइजेस्ट में दी जानी चाहिए? हां।

16.7.2008

श्री न्यायमूर्ति एस. रविंद्र भटः

वसी. मामला स. 3/2006 में अ.आ.स. 3840/2008

1. यह आदेश भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 300 के साथ पठित धारा 271 के तहत दायर अ.आ.स. 3840/2008 का निपटारा करेगा। आवेदक ने इस वसीयती मामले पर विचार करने और आगे बढ़ने के लिए इस न्यायालय की आधिकारिता पर सवाल उठाता है।

2. संक्षेप में तथ्य यह है कि मृतक, अशोक मलिक (जिसे इसके बाद में "वसीयतकर्ता" कहा जाता है) की मृत्यु 4.1.2003 पर हुई थी। वह रोहतक के स्थायी निवासी थे और इथियोपिया के अदीस अबाबा में रहते थे। वसीयतकर्ता की दिल्ली के अपोलो अस्पताल में मृत्यु हो गई, जहाँ उसे तत्काल चिकित्सा उपचार के लिए स्थानांतरित किया गया था। याचिकाकर्ता एक वसीयत का प्रोबेट चाहता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे वसीयतकर्ता द्वारा दिनांक 29.10.2002 पर निष्पादित किया गया था। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसे वसीयत के निष्पादक के रूप में नामित किया गया था और इसलिए वह प्रोबेट के अनुदान के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का हकदार है। जिन संपत्तियों के लिए प्रोबेट की मांग की गई है उसका मूल्यांकन 6.37 करोड़ किया है।

3. वसीयत के संदर्भ में यह तर्क दिया जाता है कि वसीयतकर्ता ने अपनी सभी संपत्तियों को अपने बेटे करण मलिक और अपनी विवाहित बेटी सुश्री प्रियंका बत्रा के बीच विभाजित कर दिया। उसने अपनी पत्नी सुश्री नीरू मलिक के पक्ष में कोई संपत्ति वसीयत नहीं की और उक्त वसीयत में रोहतक में माता-पिता के घर में अपना पांचवां हिस्सा अपनी मां को दिया। वसीयत के अनुसार सभी अचल संपत्तियां (उनमें से सात याचिका के अनुलग्नक-I में विस्तार से सूचीबद्ध हैं) कृषि संपत्तियां या भूखंड हैं, जो हरियाणा और राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं। इनमें से तीन रोहतक में कृषि संपत्तियां, गुड़गांव में अलग-अलग स्थानों में दो भूखंड, रोहतक में पैतृक घर में एक हिस्सा और राजस्थान के अलवर में 17 बीघा कृषि भूमि हैं। इनका कुल मूल्यांकन रु. 4.24 करोड़ है। जहाँ तक चल परिसंपत्तियों का संबंध है, पाँच वाहन (कार) वसीयत के अधीन हैं जिनमें से तीन अदिस अबाबा, इथियोपिया में स्थित हैं जैसे कि एक मर्सिडीज कार, एक निसान पेट्रोल 4 व्हील ड्राइव, और एक हुंडई सैंट्रो कार और इंडा में एक फोर्ड आइकन कार। याचिकाकर्ता ने 1 करोड़ रुपये की सीमा तक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में छह जमाओं (एफ.सी.एन. आर. और एन. आर. ई.) में जमा शेष राशि और एच.डी.एफ.सी. बैंक के विभिन्न खातों में 50,000/- की शेष राशि का खुलासा किया है।

4. नोटिस जारी होने के बाद, प्रत्यर्थीगण यानी वसीयतकर्ता की पत्नी और बेटे, करण मलिक और सुश्री नीरू मलिक पेश हुए और प्रोबेट देने पर

आपत्ति जताई। अपने दिनांकित 30.6.2006 के जवाब द्वारा आक्षेपकर्तागण ने याचिकाकर्ता के खिलाफ कई आरोपों को लगाया- जो वसीयतकर्ता का भाई है- और संपत्तियों से संबंधित पिछले विवादों के बारे में भी बताया। उन्होंने वरिष्ठ उप-न्यायाधीश, रोहतक के समक्ष पूर्व मुकदमे यानी सिविल वाद सं. 59/1990 पर भरोसा किया है। विरोध करने वालों ने वसीयतकर्ता की विवाहित बेटी प्रियंका बत्रा के खिलाफ आरोप लगाए हैं और उनके द्वारा हेरफेर से संबंधित आरोपों को सूचीबद्ध करने की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि वसीयत काल्पनिक, जाली और एक मनगढ़ंत दस्तावेज है, जिस पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर नहीं हैं। उनके अनुसार वसीयत को भी कानून के अनुसार निष्पादित नहीं किया गया था। वे वैकल्पिक रूप से तर्क देते हैं कि वसीयत का निष्पादन वसीयतकर्ता पर प्रियंका बत्रा या याचिकाकर्ता द्वारा अनुचित प्रभाव से प्राप्त किया गया था।

5. आक्षेपकर्तागण ने धारा 300 के साथ पठित धारा 271 के तहत आवेदन दायर किया है। उनका तर्क है कि इस न्यायालय को मामले को आगे बढ़ाने से इनकार कर देना चाहिए और सि.प्र.स. के आदेश 7 नियम 10 के सिद्धांतों को लागू करते हुए कार्यवाही को वापस करना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता श्री अखिल सिब्बल का तर्क है कि अभिलेख पर दलीलें और सामग्री यह स्थापित करती हैं कि सभी अचल संपत्तियां और लगभग सभी चल संपत्तियां, एक महत्वहीन हिस्से को छोड़कर, जो बैंक खातों का हिस्सा हैं, इस न्यायालय

के अधिकारिता से बाहर हैं। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वसीयत के मुख्य लाभार्थी यानी वसीयतकर्ता के बच्चे भी इस न्यायालय के अधिकारिता से बाहर रहते हैं और वसीयतकर्ता का दिल्ली में निवास का कोई निश्चित स्थान नहीं है। अपोलो अस्पताल में सच में मृत्यु हो गई, जहां उन्हें चिकित्सा उपचार के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। इन परिस्थितियों में न्यायालय के पास अधिकारिता नहीं है और उसे मामले को आगे बढ़ाने से इनकार कर देना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा किया जिसे कांता बनाम राज्य ए. आई. आर. 1985 दिल्ली 453 के रूप में रिपोर्ट किया गया था।

7. दूसरी ओर, याचिकाकर्ता की ओर से श्री प्रदीप बख्शी ने तर्क दिया कि इस न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 21 को देखते हुए इस स्तर पर अधिकारिता पर सवाल उठाने वाले इस आवेदन पर विचार नहीं करना चाहिए। विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि याचिकाकर्ता दिल्ली में रहता है; मामले में गवाही देने के लिए आवश्यक गवाह भी दिल्ली में रहते हैं और इस न्यायालय में अधिक महत्वपूर्ण कार्यवाही हुई है। अधिवक्ता ने इस तथ्य पर भरोसा किया कि क्षेत्रीय अधिकारिता के आधार बनाए रखने का सवाल केवल मार्च, 2008 में उठाया गया था। उसने प्रस्तुत किया कि कांता के मामले के विपरीत जहां अचल संपत्तियां महत्वहीन थीं, इस मामले में बैंक में राशि हालांकि अचल संपत्तियों के मूल्य के साथ तुलनीय नहीं है, फिर भी पर्याप्त है।

8. इस मामले की बेहतर समझ के लिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को निर्धारित करना आवश्यक होगा जो धारा 270,271 और 300 हैं। इन्हें नीचे निकाला गया हैः-

"**270. जिला न्यायाधीश द्वारा प्रोबेट या प्रशासन पत्र कब अनुदत्त किया जा सकेगा-** मृत व्यक्ति के विल का प्रोबेट या संपदा के लिए प्रशासनपत्र- जिला न्यायालय द्वारा, अपनी मुद्रा के अधीन अनुदत्त किया जा सकेगा यदि उसके लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति की, इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति से सत्यापित, किसी अर्जी द्वारा यह प्रतीत होता है कि, यथास्थिति, वसीयतकर्ता या निर्वसीयती का उसकी मृत्यु के समय उस न्यायाधीश की अधिकारिता के भीतर कोई नियत निवास स्थान था या उसकी कोई चल या अचल संपत्ति थी।

271. उस जिले के न्यायाधीश को, जिसमें मृतक का नियत निवास स्थान नहीं था, किए गए आवेदन का निपटारा- जब उस जिले के न्यायाधीश को, जिसमें मृतक का उसकी मृत्यु के समय कोई नियत निवास स्थान नहीं था, आवेदन किया जाता है तब यह न्यायाधीश के विवेकाधीन होगा कि वह आवेदन को, यदि उसके निर्णय के अनुसार उसका निपटारा किसी अन्य जिले में अधिक न्यायसंगत और सुविधाजनक रूप में किया जा सकता है, नामंजूर कर दे या जहां आवेदन प्रशासन-पत्र के लिए है, वहां उसे पूर्णतः या अपनी अधिकारिता के भीतर की संपत्ति तक सीमित रूप में अनुदत्त करे।

300. उच्च न्यायालय की समवर्ती अधिकारिता- (1) उच्च न्यायालय को इसके द्वारा जिला न्यायाधीश को प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करने मे जिला न्यायाधीश के साथ समवर्ती अधिकारिता होगी।

(2) उन मामलों के सिवाय, जिन्हें धार 57 लागू होती है, कोई उच्च न्यायालय इसके द्वारा प्रदत्त समवर्ती अधिकारिता का कलकत्ता, मद्रास और मुंबई नगरों [1]*** की सीमाओं के बारह किसी स्थानीय क्षेत्र पर प्रयोग करते हुए, जहां मृतक कोई हिन्दू, मुस्लिम, बौद्ध, सिक्ख या जैन या कोई छूट प्राप्त व्यक्ति है, प्रोबेट या प्राशान-पत्र के लिए कोई आवेदन ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि राज्य सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उसे ऐसा करने के लिए प्राधिकृत न कर दिया हो।"

9. ऊपर बताए गए तथ्यों से पता चलता है कि वसीयतकर्ता दिल्ली में नहीं रहता था; वह अदीस अबाबा, इथियोपिया में काम कर रहा था और रह रहा था। फाइल के मेडिकल रिकॉर्ड से पता चलता है कि उसे आपातकाल चिकित्सा के कारण नई दिल्ली के अपोलो अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया था। दुर्भाग्य से उसने अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ दिया। यह सामान्य आधार है कि सभी अचल संपत्तियां जो वसीयत का विषय हैं, इस न्यायालय की क्षेत्रीय सीमाओं के बाहर हैं। लाभार्थी भी बाहर रहते हैं; बेटी प्रियंका बंटरा मुंबई में रहती है और बेटा, दूसरा उत्तराधिकारी गुड़गांव में रहता है। एक प्रमाणक गवाह भी इस न्यायालय के अधिकारिता से बाहर रहता है। अधिकारिता के लिए याचिकाकर्ता का दावा है कि वह दिल्ली में रहता है और चल संपत्ति का कुछ हिस्सा इस न्यायालय के अधिकारिता में स्थित है- वे बैंक खातों में नकद शेष राशि हैं। कार्यवाही के दौरान आक्षेपकर्ता-प्रत्यर्थीगण ने एचडीएफसी और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा जारी बैंक शेष प्रमाण पत्र की अभिलेख पर प्रतियां रखी हैं। एचडीएफसी बैंक के दिनांकित 29.12.2007 के पत्र के अनुसार, (जिसकी एक प्रति आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है और याचिकाकर्ता द्वारा अस्वीकार नहीं की गई है) जिन चार खातों के साथ वसीयत का संबंध था, उनमें से दो मृतक के नाम पर थे और दो सुश्री नीरू मलिक के नाम पर थे। सुश्री नीरू मलिक के ऐसे ही एक खाते को बंद कर दिया गया था और दूसरे में रु. 25097.97 थे। श्री अशोक मलिक के दो बैंक खातों में क्रमशः

यू.एस. डॉलर 8541.17 और यू. एस. डॉलर 7128.18 जमा था। इसी तरह स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के दिनांकित 9.1.2008 के पत्र से पता चलता है कि मूल रूप से बनाए गए छह खातों में से तीन बंद कर दिए गए थे। एक श्री अशोक मलिक और सुश्री नीरू मलिक का संयुक्त खाता था; एक और का खाता धारक मृतक अशोक मलिक था जहाँ दर्शाई गई राशि शून्य शेष राशि थी। अंतिम खाता सुश्री नीरू मलिक का था जहाँ भी बैंक ने शून्य शेष राशि के रूप में राशि का खुलासा किया है। ये तथ्य आवेदन के साथ न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री का हिस्सा थे; याचिकाकर्ता को अवसर दिए जाने के बावजूद उन्हें अस्वीकार नहीं किया गया है।

10. इन परिस्थितियों में जो सामने आती है वह यह है कि लगभग यू.एस. डॉलर 15,600 या लगभग *7* लाख रुपये के बराबर राशि दिल्ली के बैंकों में मृतक वसीयतकर्ता के खाते में पड़ी है। वे वर्तमान कार्यवाही के विषय हैं। दूसरी ओर, अन्य सभी संपत्तियाँ जैसे कि *7* मूल्यवान अचल संपत्तियों के साथ-साथ तीन कारें न्यायालय के अधिकारिता से बाहर हैं। इनका मूल्य 5 करोड़ करोड़ रुपये से अधिक है। वसीयत के लाभार्थी भी दिल्ली में नहीं रहते हैं और न ही विरोध करने वाले है।

11. यह तय किया गया कानून है कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 273 के आधार पर, प्रोबेट कार्यवाही, वैध रूप से विचारित रेम *(देखें बसंती देवी बनाम रवि प्रकाश राम प्रसाद जयसवाल 2008* (1) एस. सी. सी.

267 *और श्रीमती. रुक्मिणी देवी बनाम नरेंद्र लाल* 1985 (1) एससीसी 144 में कार्यवाही है धारा 271 का अधिदेश यह है कि जहां मृतक ने अपनी मृत्यु के समय कोई निश्चित निवास स्थान नहीं है यह उस न्यायाधीश का विवेकाधिकार है जिसके समक्ष प्रोबेट के लिए आवेदन किया जाता है मना कर सकता है, अगर इसे किसी अन्य जिले या स्थान पर अधिक न्यायसंगत और सुविधाजनक तरीके से निपटाया जा सकता है। कांता के मामले में अनुपात यह था कि पर्याप्त संपत्तियों के मूल्य के विपरीत, जो न्यायालय के अधिकारिता से बाहर थीं, वह चल संपत्ति, जिसके आधार पर अधिकारिता का दावा किया गया था, महत्वहीन थी। इस मामले में भी यह सामान्य आधार है कि कुल संपत्ति का प्रकटित मूल्य रु. 6.5 करोड़ जिसमें से निर्विवाद रूप से 4.25 करोड़ या संपत्ति का बड़ा हिस्सा इस न्यायालय के अधिकारिता से बाहर है। यद्यपि मूल रूप से याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के अधिकारिता में मृतक के बैंक खाते और जमा राशि का मूल्य 1 करोड़ पचास हजार रुपये आंका था, फिर भी बाद में यह खुलासा किया गया है कि राशि लगभग 7 लाख रुपये है। ऐसा नहीं है कि इस मामले में मृतक का कोई निश्चित निवास स्थान नहीं था। वास्तव में वह इथियोपिया के अदीस अबाबा में रह रहा था और काम कर रहा था। इस तथ्य के अलावा कि निष्पादक दिल्ली का निवासी है और प्रमाणित करने वाले गवाहों में से एक दिल्ली में रहता है, दिल्ली में बैंक खातों में पड़ी राशि के अलावा, इस न्यायालय के अधिकारिता को स्थापित करने के लिए कोई अन्य

तथ्य नहीं है। कांता में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि केवल यह तथ्य कि गवाह दिल्ली के निवासी हैं, इस न्यायालय के अधिकारिता का प्रयोग करने का कोई आधार नहीं है।

12. न्यायालय ने कांता में अधिनियम की धारा 270, 271 और 300 के संयुक्त पठन पर निर्णय दिया कि ऐसे मामलों में जहां संपत्ति के महत्वहीन हिस्सा जो वसीयत के अधीन मामले में अधिकारिता का दावा करने के लिए आधार बनाने की मांग की जाती है, न्यायालय को अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से इनकार करने के लिए अच्छी तरह से सलाह दी जाएगी। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि प्रोबेट के अनुदान से संबंधित प्रतिद्वंद्वी दलीलों की जांच करने के उद्देश्य से दिल्ली सबसे अधिक अनुपयुक्त थी। यहाँ भी इसी तरह के विचार लागू होते हैं।

13. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की राय है कि मृतक कोई निश्चित निवास वाला व्यक्ति नहीं था नहीं कहा जा सकता है; वह अदीस अबाबा का निवासी था; अचल संपत्तियों का बड़ा और मुख्य हिस्सा जो वसीयत का विषय है, इस न्यायालय के अधिकारिता से बाहर है। भले ही न्यायालय ने कार्यवाहियों पर विचार किया था, फिर भी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ये एक वाद के माध्यम से नहीं हैं, न्यायालय को सि.प्र.सं. की धारा 21 पर आधारित आपत्ति पर्याप्त नहीं लगती है; इसके मामले का यह निष्कर्ष निकालने में कोई बाधा नहीं है कि इन कार्यवाहियों को जारी रखना

अनुचित और व्यर्थ होगा। इन कारणों से आवेदन को सफल होना पड़ता है। याचिकाकर्ता के लिए यह खुला है कि वह उन सक्षम न्यायालयों में से किसी एक में प्रोबेट अनुदान के लिए आवेदन कर सकता है जहां अचल संपत्तियां स्थित हैं। इसलिए आवेदन (अ.आ. सं. 3840/2008) की अनुमति है।

उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि इस न्यायालय के पास मामले को आगे बढ़ाने का कोई अधिकारिता नहीं है। प्रोबेट मामला सं. 3 /2006 को तदनुसार याचिकाकर्ता की स्वतंत्रता के साथ निपटाया जाता है, जिस पर ऊपर चर्चा की गई है। इन परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

16 जुलाई, 2008

एस. रविंद्र भट
(न्यायाधीश)

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*